उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

निकट–महाराणा प्रताप स्पोटर्स कालेज, थानों रोड़, रायपुर, देहरादून।

वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in mail: chayanayog@gmail.com

फोन न० 0135–2669658 फैक्स न0 0135–2672902

पत्रांकः–परीक्षा / 219 / 2023–24 दिनांकः 02,अगस्त, 2023

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पद नाम–छात्रावास अधीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, मैट्रन केयर सह हॉस्टल इन्चार्ज, सहायक चकबन्दी अधिकारी, सहायक प्रबंधक उद्योग, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक स्वागती, संरक्षक कम डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, संवीक्षक, सुपरवाईजर (केवल महिलाओं के लिए) (पद कोड–122, 187, 190, 296, 485, 513, 520, 526, 550, 599, 604, 641/29/2020) की लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 09 जुलाई, 2023 को आयोजित की गई।

उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर **पद कोड–122, 187, 190, 296, 485, 513, 520, 526, 550, 599, 604, 641/29/2020)** में चयनित अभ्यर्थियों की अभिलेख सत्यापन हेतु औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची आयोग की विज्ञप्ति संख्या–159 दिनांक 21 जुलाई, 201 के द्वारा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है।

सूच्य है कि पद नाम–छात्रावास अधीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, मैट्रन केयर सह हॉस्टल इन्चार्ज, सहायक चकबंन्दी अधिकारी, सहायक प्रबंधक उद्योग, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक स्वागती, संरक्षक कम डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, संवीक्षक, सुपरवाईजर (केवल महिलाओं के लिए) की जारी औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु **दिनांक 16 अगस्त, 2023 से कार्यक्रम तैयार किया गया है** जिसके अनुसार निर्धारित तिथियों में चयनित अभ्यर्थियों की अंकित Serial Number (S.No.) के अनुसार अभिलेख सत्यापन आयोग कार्यालय में किया जायेगा। उक्त पद कोडों की जारी श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट **www.sssc.uk.gov.in** पर अपलोड है।

यह औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किये गये दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन के पश्चात् कुल अर्ह अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जायेगा। टंकण से संबंधित पदों हेतु अभिलेख सत्यापन में अभ्यर्थियों के द्वारा दी गई वरीयता के आधार पर श्रेष्ठताक्रम में पृथक से टंकण परीक्षा हेतु औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची जारी की जायेगी।

अतः औपबन्धिक रूप से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि :–

1. औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी अपने समस्त मूल अभिलेखों (जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्र में निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप अंकित किए गये शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र) की स्वप्रमाणित दो–दो प्रतियाँ (अलग–अलग) **व 06 पास पोर्ट आकार की फोटोग्राफ** के साथ **निर्धारित तिथियों** को **प्रातः 9.30 बजे आयोग कार्यालय** में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
2. ध्यान दें कि शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत विज्ञापित पद के अनुरूप अभ्यर्थी की हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक की समस्त वर्षो सहित अंक तालिकायें व प्रमाण पत्र/उपाधि तथा आरक्षण व स्थाई निवास से संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। **आरक्षण (EWS/OBC/SC/ST/PH/ EX/DFF) का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो**, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र मूल एवं छायाप्रति लाना अनिवार्य है।
4. आयोग की वेबसाइट पर **संवाद संख्या–79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप (चैकलिस्ट)** एवं **अभिलेख सत्यापन में उपस्थिति हेतु औपबन्धिक प्रवेश पत्र** संलग्न है। कृपया उक्त प्रारूपों को डाउनलोड कर उसके अनुरूप समस्त संलग्नकों का विवरण दो–दो प्रतियाँ (अलग–अलग) में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे।
5. अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितान्त रूप से अनिवार्य होगी तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के संबंध मे यदि कोई गंभीर कारण हों तो उस संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 07 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जायेगी।
6. यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किये जाने हेतु अधिकतम 07 दिन का समय प्रदान किया जायेगा। यदि अतिरिक्त 07 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी

द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनका अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

7. आयोग परिसर में मोबाईल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित कार्यक्रम

क्र. सं.	पदनाम	अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि	
		Serial Number (S.No.)	सत्यापन तिथि
1.	छात्रावास अधीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, मैट्रन केयर सह हॉस्टल इन्चार्ज, सहायक चकबन्दी अधिकारी, सहायक प्रबंधक उद्योग, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक स्वागती, संरक्षक कम डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, संवीक्षक, सुपरवाईजर (केवल महिलाओं के लिए)	01 से 100 तक	16.08.2023 (बुधवार)
		101 से 200 तक	17.08.2023 (गुरूवार)
		201 से 300 तक	18.08.2023 (शुक्रवार)
		301 से 400 तक	21.08.2023 (सोमवार)
		401 से 500 तक	22.08.2023 (मंगलवार)
		501 से 600 तक	23.08.2023 (बुधवार)
		601 से 700 तक	24.08.2023 (गुरूवार)
		701 से 800 तक	25.08.2023 (शुक्रवार)
		801 से 900 तक	28.08.2023 (सोमवार)
		901 से 1000 तक	29.08.2023 (मंगलवार)
		1001 से 1100 तक	30.08.2023 (बुधवार)
		1101 से 1200 तक	01.09.2023 (शुक्रवार)
		1201 से 1300 तक	04.09.2023 (सोमवार)
		1301 से 1400 तक	05.09.2023 (मंगलवार)
		1401 से 1500 तक	06.09.2023 (बुधवार)
		1501 से 1600 तक	08.09.2023 (शुक्रवार)
		1601 से 1700 तक	11.09.2023 (सोमवार)
		1701 से 1800 तक	12.09.2023 (मंगलवार)
		1801 से 1862 तक	13.09.2023 (बुधवार)

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव